फर्द अहकाम

शैतान वगै० बनाम राज० सरकार वगै०

म न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) शाहपुरा

स संख्या 117/22

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की पैरोकार सरकार से प्राप्त जवाब पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण के हक डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार (आर. ए. एस.)
वाद संख्या :- 117/2022

शीर्षक

1. शैतान पुत्र घीसा
2. श्रीमती श्रवण देवी पत्नी शैतान
   समस्त व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, खातेदारी उदघोषणा धारा अनतर्गत 88, 89 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 28/08/2023

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0 न0 412/1 रकबा 0.15 है0, 469 रकबा 0.80 है0 वाकै ग्राम धानोता पटवार हल्का धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर व ख0 न0 468 रकबा 0.57 है0 वाकै ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का मुरलीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजीयात ख0 न0 412/1 रकबा 0.15 है0 , 469 रकबा 0.80 है0 में वादी सं0 01 का हिस्सा 37/3630 व ख0 न0 469 में वादी सं0 02 का हिस्सा 1/2 व ख0 न0 468 में वादी सं0 02 का हिस्सा 2/57 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि वादी सं0 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में सुलतान पुत्र घीसा अंकित है जबकि वादी सं0 01 का असली नाम शैतान पुत्र घीसा है। सुलतान पुत्र घीसा के नाम से ग्राम धानोता में कोई व्यक्ति नहीं है। इस बाबत ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी है साथ ही वादी सं0 01 के अन्य राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो में वादी सं0 01 का नाम शैतान पुत्र घीसा ही दर्ज है। इसी प्रकार वादी सं0 02 का नाम उक्त वर्णित नंबरान में श्रीमती श्रवण देवी उर्फ श्रवणी देवी पत्नी सुलतान व श्रवणी पत्नी सुलतान गलत दर्ज है। जबकि वादी सं0 02 का वास्तविक नाम श्रीमती श्रवण देवी पत्नी शैतान है तथा इनके अन्य राजस्व रिकार्ड व पहचान से संबंधित अन्य दस्तावेजो में श्रीमती श्रवण देवी पत्नी शैतान ही दर्ज है। यह कि वादीगण का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहे है इसलिये वादीगण का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त हेतु किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है तथा सही नाम से खातेदारी की उदघोषणा किया जाना भी आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यह कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में अन्य सहखातेदारो का नाम भी अंकन है परंतु अन्य सहखातेदारो का हिस्सा वादीगण के नाम दुरूस्ती व खातेदारी उदघोषणा करवाने से प्रभावित नही हो रहा है। इसलिये उन्हे पक्षकार मुकदमा नही बनाया है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ख0 न0 412/1 रकबा 0.15 है0 वाकै ग्राम धानोता पटवार हल्का धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में वादी सं0 01 को 37/3630 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व सुलतान पुत्र घीसा का नाम हजब किया जावे व ख0 न0 469 रकबा 0.80 है0 वाकै ग्राम धानोता पटवार हल्का धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में वादी सं0 02 का हिस्सा 1/2 व ख0 न0 468 रकबा 0.57 है0 वाकै ग्राम मुरलीपुरा पटवार हल्का मुरलीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में वादी सं0 02 का हिस्सा 2/57 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व श्रीमती श्रवण देवी उर्फ श्रवणी देवी पत्नी सुलतान व श्रवणी पत्नी सुलतान का नाम हजब किया जावे ।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी पैराकार सरकार उप0। पैरोकार सरकार से उक्त प्रकरण के संबंध में जवाब प्राप्त किया गया। वकील वादी ने प्राप्त पैरोकार सरकार जवाब पर कोई आपत्ति जाहिर नही की तथा अपनी बहस में वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा, वादीगण के हक में डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया । सुना गया, वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व पैरोकार सरकार से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अतः उपर्युक्त विवचेन के आधार पर दावा वादी के हक में डिकी किया जाता है कि ग्राम धानोता पटवार हल्का धानोता तह0 शाहपुरा के खाता संख्या 398 के आराजी ख0 न0 412/1 रकबा 0.15 है0 दर्ज नाम सुलतान पुत्र घीसा के स्थान पर शैतान उर्फ सुलतान पुत्र घीसा जाति जाट दुरूस्त किया जावे तथा ग्राम धानोता, पटवार हल्का धानोता तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 475 के आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0.80 है0 में दर्ज नाम श्रीमती श्रवण देवी उर्फ श्रवणी देवी पत्नि सुल्तान के स्थान पर श्रीमती श्रवण देवी उर्फ श्रवणी देवी पत्नि शैतान उर्फ सुल्तान जाति जाट एवं ग्राम मुरलीपुरा, पटवार हल्का मुरलीपुरा तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नंबर 468 रकबा 0.57 है0 में दर्ज नाम श्रवणी पत्नि सुल्तान के स्थान पर श्रवणी पत्नि शैतान उर्फ सुल्तान जाति जाट दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे व अन्य अनुतोष जो वादी के हक में है दिये जावे। तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार आर ए एस

वाद संख्या :– 117/2022

शीर्षक

3. शैतान पुत्र घीसा
4. श्रीमती श्रवण देवी पत्नी शैतान

समस्त व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, खातेदारी उद्घोषणा धारा अनतर्गत 88, 89 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 28/8/2023

अतः उपर्युक्त विवचेन के आधार पर दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि ग्राम धानोता पटवार हल्का धानोता तह0 शाहपुरा के खाता संख्या 398 के आराजी ख0 न0 412/1 रकबा 0.15 है0 दर्ज नाम सुलतान पुत्र घीसा के स्थान पर शैतान उर्फ सुलतान पुत्र घीसा जाति जाट दुरूस्त किया जावे तथा ग्राम धानोता, पटवार हल्का धानोता तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 475 के आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0.80 है0 में दर्ज नाम श्रीमती श्रवण देवी उर्फ श्रवणी देवी पत्नि सुल्तान के स्थान पर श्रीमती श्रवण देवी उर्फ श्रवणी देवी पत्नि शैतान उर्फ सुल्तान जाति जाट एवं ग्राम मुरलीपुरा, पटवार हल्का मुरलीपुरा तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नंबर 468 रकबा 0.57 है0 में दर्ज नाम श्रवणी पत्नि सुल्तान के स्थान पर श्रवणी पत्नि शैतान उर्फ सुल्तान जाति जाट दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे व अन्य अनुतोष जो वादी के हक में है दिये जावे। तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	